(65)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1291–दो/2009 – विरूद्ध आदेश दिनांक 3–8–2009 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर – प्रकरण कमांक 232/2005–06 निगरानी

1– श्रीमती प्रेमवाई पत्नि हरिया उर्फ हरीराम
2– श्रीमती गीतावाई पत्नि मेहरवान सिंह
निवासी ग्राम बरखेड़ा तहसील मुंगावली
जिला अशोकनगर, मध्य प्रदेश ––आवेदकगण

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर अशोकनगर –– अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री सुनील जादौन)

(अनावेदक के पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनांक 6–7 –2016 को पारित)

यह अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 232/2005–06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 3–8–2009 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 57 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मॉग की कि ग्राम बरखेड़ा काछी स्थित भूमि सर्वे कमांक 33 रकबा 3.135 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) पर जमींदारी काल से कब्जा

कब्जा चला आ रहा है जिसके कारण उन्हें भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो गये हैं इसलिये उन्हें भूमिस्वामी बनाया जावे। अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली ने प्रकरण कमांक 2/अ-1/2001-02 पंजीबद्ध किया एंव जांच उपरांत आदेश दिनांक 31-7-2002 पारित करके वादग्रस्त भूमि पर आवेदकगण को भूमिस्वामी स्वत्व प्रदान किये गये।

कलेक्टर अशोकनगर व्दारा अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली के प्रकरण का परीक्षण करने पर अनियमिततायें पाये जाने से स्वमेव निगरानी प्रकरण कमांक 27/2004-05 पंजीबद्ध किया तथा आवेदकगण की सुनवाई कर आदेश दिनांक 16-12-2005 पारित किया एंव अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली व्दारा प्रकरण कमांक 2/अ-1/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 31-7-2002 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत करने पर प्रकरण कमांक 232/2005-06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 3-8-2009' से निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली के समक्ष संहिता की धारा 57 के अंतर्गत आवेदन देकर वादग्रस्त भूमि पर 30-35 वर्ष पूर्व से कब्जा चला आना बताया है, जबकि आवेदकगण का कब्जा मात्र वर्ष 1972 के खसरे में दर्ज है। वादग्रस्त भूमि पर 30-35 वर्ष पूर्व से कब्जा चले आना आवेदकगण प्रमाणित नहीं कर सके हैं एंव इस न्यायालय में भी ऐसा कोई अभिलेख अथवा आधार नहीं बता सके हैं कि आवेदकगण का शासकीय अभिलेख में वादग्रस्त भूमि पर कब्जा आवेदन देने के 30-35 वर्ष पूर्व से निरन्तर रहा हो। इसके विपरीत वादग्रस्त भूमि शासकीय अभिलेख में

चरनाई, बन अधिसूचित दर्ज चली आई है और चरनाई भूमि तथा बन अधिसूचित भूमि को किसी व्यक्ति विशेष के लाभ के लिये व्यस्थापित करना अथवा भूमिस्वामी घोषित करना नियमानुकूल नहीं माना जा सकता।

5/ अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के आदेश दिनांक 03-09-2009 के पद 4 के अवलोकन पर यह तथ्यांकन होना पाया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली ने कथनों में अपनी हस्तलिपि से निम्नानुसार वाक्य जोड़ा है -

"आलोच्य भूमि पर जमींदारी के समय एंव बंदोवस्त के समय से पुश्तैनी कब्जा चला आ रहा है।"

इन्हीं जुड़े हुये वाक्य के सम्बन्ध में अपर आयुक्त व्दारा आदेश में निष्कर्ष निकाला है कि अनुविभागीय अधिकारी ने प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाने के लिये भूमि पर भूमिस्वामी स्वत्व प्रदान किये हैं और इन्हीं कारणों से उन्होंने कलेक्टर अशोकनगर के स्वमेव निगरानी प्रकरण कमांक 27/2004-05 में पारित आदेश दिनांक 16-12-2005 को उचित होना माना है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 232/2005-06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 3-8-2009 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर